



## राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10-बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना झूंगरी, जयपुर  
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91-0141-2710072

बोली प्रपत्र विक्रय, प्रकाशन की तिथि से 05.08.2024 प्रातः 11:00 बजे तक  
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 05.08.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक  
बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक 05.08.2024 को सायं 3:00 बजे  
बोली प्रपत्र शुल्क रू. 1000/-

### बोली प्रारूप (स्टेशनरी आइटम)

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता.....  
.....  
..... टेलीफोन.....
2. जिसको सम्बोधित किया जाना है :- निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर ।
3. सन्दर्भ बोली सूचना संख्या ..... दिनांक .....
4. बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000/- रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा जमा करा दी गई है।
5. बोलीप्रतिभूति निविदा मूल्य का 2% होगी, जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 के नियम 42 के अनुरूप नकद/डी.डी. द्वारा संस्थान में जमा की जावेगी।
6. हम राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई बोली सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों व संलग्नको पर उल्लेखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7. वर्णित दरें दिनांक 15.08.2024 से 14.08.2025 तक की अवधि के लिए मान्य होगी।
8. इनके साथ जीएसटी पंजीयन एवं जीएसटी प्रमाण-पत्र गत तिमाही का संलग्न कर दिया है।
9. फर्म अथवा अधिकृत व्यक्ति का आयकर विभाग द्वारा जारी पेन व उसकी छाया प्रति संलग्न है।
10. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा, स्पेसिफिकेशन तथा वित्तीय दर अंकित कर दी गई है।
11. क्राफ्ट पेपर निर्मित आइटम (लिफाफे, फाईल कवर, फाईल पैड, फाईल फ्लोपस) इत्यादि के मूल्य आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे।
12. जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे। इसके साथ ही राज्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम - 2013 के समस्त प्रावधान इस बोली पर प्रभावशील होंगे।
13. बोली शर्त रहित एवं नियमानुसार हस्ताक्षर युक्त होनी चाहिए, अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
14. सभी बोलियों अथवा किसी भी एक बोली को निरस्त करने का संस्था का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा।
15. स्टेशनरी के कार्य करने का पिछले तीन वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 वार्षिक औसतन टर्न ओवर 08.00 लाख से कम नहीं होने चाहिए।

30/08

30/08

30/08

30/08

30/08

30/08

बोलीदाता के हस्ताक्षर



## राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10-बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर  
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91-0141-2710072

दिनांक 15.08.2024 से 14.08.2025 तक स्टेशनरी क्य करने की निविदा की शर्तें

टिप्पणी:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी बोली भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये ।

1. बोलीदाता को बोली सूचना मे दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये ।
2. बोली स्टेशनरी की आपूर्ति हेतु आयुक्त, उद्योग विभाग से पंजीकृत लघु औद्योगिक ईकाईयों द्वारा दी जानी चाहिए तथा वह वर्णित स्टेशनरी बनाने हेतु अनुमोदित होनी चाहिए। एसएसआई यूनिट होने का उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किए जावें, अन्यथा बोली निरस्त की जा सकती है।  
(क) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा नमूने संलग्न किए जाने आवश्यक है। बिना नमूने के प्राप्त बोली अस्वीकार की जावेगी।  
(ख) स्टेशनरी के नमूने बिड प्रपत्र भरने से पूर्व कार्यालय समय में इस कार्यालय के भण्डार में किसी भी कार्य दिवस में देखें जा सकते हैं।
3. फर्म आदि के गठन मे किसी भी परिवर्तन की सूचना उपापन अधिकारी को लिखित मे बोलीदाता द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
4. जीएसटी पंजीयन एवं शोधन प्रमाण-पत्र (Clearance Certificate) गत तिमाही का - कोई बोलीदाता जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य मे प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. बोली प्रारूप स्याही से या टंकण से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त मे बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण मे हस्ताक्षर करेगा।
6. दर निर्धारित वित्तीय प्रपत्र मे अंकित की जाएगी। इसमे कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
7. मूल्य अधिमान:- मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित मालों की तुलना मे भण्डार क्य (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता नियम 1995 के अनुसार दी जायेगी)।
8. विधि मान्यता:- बोली उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधि मान्य होगी ।
9. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

527

राजि

20

अधिकारी

सुभा

म/र

11. विशेष विवरण (स्पेसिफिकेशन्स) --

- (1) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुसार होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आईएसआई स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी है, उनकी पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।
- (2) बोली प्रपत्र में अंकित वस्तुओं का प्रदाय अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। उपापन/संस्था इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं तथा क्या वे सेम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (3) वारंटी एवं गारंटी का खण्ड— बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि उक्त अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायें, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

12. रद्द करना (Rejection)

- (1) निरीक्षण या परीक्षण दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बदला जाएगा।
- (2) तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
- (3) रद्द की गयी वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।
- (4) बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने मामले में बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (5) प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों का अभिलिखित करेगा।

जे/

2013

22

2013

✓

✓

(6) बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

13. सामग्री की सुपुर्दगी

(1) सुपुर्दगी अवधि बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

(2) मात्रा के सीमा आदेश को फिर से देना: - यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Report Orders) भी बोली में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकें परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली जाएगी।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

14. (अ) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Performance Security)

1. सफल बोलीदाता को आदेश प्राप्ति की दिनांक से 7 दिवस की अवधि में प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा एवं नियमानुसार प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ ही जमा करानी होगी।

2. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीद प्रति/शिड्यूल बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/आरटीजीएस

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जायेगा।

(2) (ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहृत प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा :-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने से असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

15. बीमा:-

सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी नाश या क्षय द्वारा या आग बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

16. भुगतान:-

- I. सामान की सप्लाई के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
  - II. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिये भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
  - III. विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
  - IV. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुये परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।
17. (1) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
- (ii) परिनिर्धारित क्षति: परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतों के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-
- (2) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये 2.5 प्रतिशत  
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये 5 प्रतिशत  
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक के लिये 7.5 प्रतिशत  
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये 10 प्रतिशत
- (3) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा कराने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
18. **वसूलियां:-** परिनिर्धारित क्षयों कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
19. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या इनके विरोध में हैं तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
20. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है बिना कोई कारण बताये रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिये बोलीदाता ने बोली दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

सा  
3/11/23  
R  
Smeq  
12  
R

21. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
  2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
  3. एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता मय टेलीफोन नम्बर।
  4. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
22. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
23. राज. लोक उपापन में प्रारदर्शिता नियम-2013 के उपनियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
24. सभी अथवा किसी एक बोली को निरस्त करने का उपापन संस्था को पूर्ण अधिकार होगा।
25. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश, निर्देश यथावत लागू होंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

3/11/13 20  
 20/11/13  
 20/11/13  
 20/11/13

## बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोरो/उपकरणों के लिए बोली दी है उनका/उनके/मैं/हम मूल उत्पादक/थोक व्यापारी/प्राधिकृत विक्रेता हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की नियमानुसार अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत राशि को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, को रद्द कर लिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Sigra D

Sigra:

Sigra

✓

✓

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में स्टेशनरी उपलब्ध करवाये जाने हेतु

**:: तकनीकी बोली प्रपत्र ::**

मूल्य रू. 1000/- रूपये (निदेशक, राइसेम के नाम से देय)।

बिड का अनुमानित मूल्य :

8.00 लाख रूपये

बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि :

05.08.2024 दोपहर 1:00 बजे तक

बोली खोलने की दिनांक :

05.08.2024 सायं 3:00 बजे

1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पानी/टेलीफोन/बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता राज्य सरकार द्वारा जारी स्टेशनरी उपलब्ध करवाने के अनुमति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	
5.	बोलीदाता/फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
6.	बोलीदाता/फर्म का जीएसटी नम्बर, अंतिम तिमाही (अप्रैल, 2024 से जून, 2024 तक) की जीएसटी रिटर्न की प्रति (फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8.	गत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) के वार्षिक लेखों की अंकेक्षित प्रतिलिपि	
9.	गत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
10.	गत एक वर्ष का बैंक का स्टेटमेंट (दिनांक 30.06.2024 तक) संलग्न करें	
11.	बोली प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या ..... दिनांक .....
12.	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 16000/- का विवरण	बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी/बैंकर्स चेक संख्या ..... दिनांक ..... बैंक का नाम ..... राशि .....

नोट :- उपरोक्तानुसार संलग्न सभी पत्रादि की फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है।

५२१ २८  
२०२४  
२०२४  
२०२४  
२०२४  
२०२४



## बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यावसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय, अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाणस्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पद.....

पता.....

मो०नं०.....

५/११  
31/12  
21/12/20  
Sma

✓

## राइसेम में स्टेशनरी क्य हेतु वित्तीय बोली प्रपत्र

क्र.सं.	नाम स्टेशनरी	लगभग	दर (प्रतिनग)
1.	साधारण रीफिल नीली पाईंटेड वाला पैन	6000 नग	
2.	स्पाइरल पैड डायरी 9X6 (कार्यालय सैम्पल)	6000 नग	
3.	स्पाइरल पैड बडे (कार्यालय सैम्पल)	200 नग	
4.	प्लास्टिक फोल्डर बटन वाले प्रिन्टेड (कार्यालय सैम्पल)	6000 नग	
5.	लाईनदार रजिस्टर गत्ता बाईडिंग 12X7.5, 200/240 पेज सुपीरियर कागज	30 नग	
6.	फोटो कॉपीयर रिम ए-4 75	250 रिम	
7.	फोटो कॉपीयर रिम एफ एस 75 जैम	25 रिम	
8.	फाइल कवर 13 X 9.5	400 नग	
9.	फाइल पैड 14 X 9.5	400 नग	
10.	जैल पैन	50 नग	
11.	नोटशीट पैड 13 X 8	50 नग	
12.	पैनड्राइव 16 जी.बी	25 नग	
13.	पैनड्राइव 32 जी.बी	25 नग	
14.	पेन स्टेण्ड	10 नग	
15.	पेपर रोल स्टेण्ड	05 नग	
16.	डेस्क कलेण्डर स्टेण्ड	05 नग	
17.	साधारण पेंसिल एच. बी.	50 नग	
18.	साधारण रबड़	25 नग	
19.	शॉर्पनर	25 नग	
20.	प्लास्टिक स्केल बडे	10 नग	
21.	आलपिन पैकेट्स लम्बाई 25एमएम पैकेट वजन-100ग्राम	20 नग	
22.	यू-पिन	20 बॉक्स	
23.	व्हाइट बोर्ड मार्कर	200 नग	
24.	परमानेंट मार्कर	50 नग	

पति  
 2013 28  
 28/11/13  
 28/11/13

25.	हाईलाईटर	30 नग	
26.	फेवीस्टिक बड़ी नॉन टॉक्सिक	100 नग	
27.	सेलोटैप 1 ईंच	25 नग	
28.	सेलोटैप 2 ईंच	25 नग	
29.	ब्राउन टेप 1 ईंच	25 नग	
30.	ब्राउन टेप 2 ईंच	25 नग	
31.	स्टिकी पैड	25 पै.	
32.	स्टाम्प पैड छोटा नीला	20 नग	
33.	स्टाम्प पैड बडा नीला	10 नग	
34.	स्टाम्प पैड इंक नीली	05 नग	
35.	करेक्टिंग फ्ल्यूड इंक	25 नग	
36.	डाक पैड (प्लास्टिक)	05 नग	
37.	पेपर वेट	25 नग	
38.	पोकर (सुआ)	10 नग	
39.	स्टेपलर बडे 26X6 - 24.6	10 नग	
40.	स्टेपलर छोटे No. - 10	20 नग	
41.	स्टेपलर पिन छोटी No. - 10	2 पैकेट (40 नग)	
42.	स्टेपलर पिन बडी 24 X 6	1 पैकेट (20 नग)	
43.	फाईल लैस सुपीरियर प्रति पै. 100X50= 5000 नग	500 नग	
44.	फाईल टैग 8" सुपीरियर धागे से बना प्रति पै. 800X50 = 40000 नग	500 नग	
45.	लाईनदार रजिस्टर गत्ता बाईडिंग 12X7.5, 100/120 पेज सुपीरियर कागज 60 जीएसएम	25 नग	

नोट :- निविदादाता द्वारा दरें समस्त करों सहित प्रस्तुत की जाएगी।

3/12/22  
 22  
 22  
 22  
 22

हस्ताक्षर बोलीदाता मय नाम,  
 फर्म का मोबाईल-दूरभाष एवं पते  
 सहित